



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 289 राँची, गुरुवार, 15 वैशाख, 1938 (श०)  
5 मई, 2016 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

22 अप्रैल, 2016

संख्या-8/न०वि०/विविध/109/2015-2262--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पलामू जिलान्तर्गत मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग-ख को उसके आस-पास के 15 राजस्व ग्रामों यथा:- (i) सुदना (ii) बारोलोटा (iii) रेड़मा (iv) बैरिया (v) निमिया (vi) कौंडिया (vii) सिंगरा खुर्द (viii) सिंगरा कला (ix) बजराहा (x) सुआ (xi) गोरहो (xii) चियांकी (xiii) पोखराहा कला (xiv) पोखराहा खुर्द (xv) टिकुलिया की जनसंख्या-157572 होने के फलस्वरूप मेदिनीनगर

नगर परिषद, वर्ग-‘ख’ को वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करने संबंधी प्रारूप आदेश निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के “झारखण्ड गजट” में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर मेदिनीनगर नगर निगम के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, पलामू द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

#### प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग-‘ख’ के मूल रूप में उसके आस-पास के 15 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न) को मिलाकर वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव।

## परिशिष्ट-I

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

मेदिनीनगर नगर निगम का गठन

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-651, दिनांक 2 मार्च, 2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मेदिनीनगर नगर परिषद्, वर्ग-'ख' अंतर्गत प्रस्तावित मेदिनीनगर नगर निगम में समाहित होनेवाले 15 राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्यावार निम्नवत है:-

## A. मेदिनीनगर नगर परिषद्, वर्ग-'ख' का क्षेत्र

| क्र. | ग्राम का नाम  | जनसंख्या | साल 2011 की जनसंख्या |
|------|---------------|----------|----------------------|
| 1    | उखी इज्जत नगर | 189      | 78396                |

## B. नगर परिषद् में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

|                     |          |     |               |
|---------------------|----------|-----|---------------|
| 1                   | लक्ष्मी  | 191 | 14552         |
| 2                   | कज्जुवा  | 198 | 14880         |
| 3                   | जमेक     | 188 | 12497         |
| 4                   | चंडी     | 197 | 2685          |
| 5                   | फुफे     | 192 | 2171          |
| 6                   | दलम      | 185 | 4168          |
| 7                   | फिरोजपुर | 194 | 3296          |
| 8                   | फिरोजपुर | 195 | 1645          |
| 9                   | चंडी     | 193 | 195           |
| 10                  | लक्ष्मी  | 186 | 6761          |
| 11                  | खज्जुवा  | 187 | 11            |
| 12                  | फिरोजपुर | 206 | 8714          |
| 13                  | इन्दौर   | 204 | 2811          |
| 14                  | इन्दौर   | 205 | 4788          |
| 15                  | फिरोजपुर | 196 | 02            |
| <b>कुल जनसंख्या</b> |          |     | <b>157572</b> |

ह०/- (अस्पष्ट),

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग ।